[कार्या]लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 4/20	धारा अंतर्गत 53,188 RTA	निर्णय दिनांक 14.5.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री घनश्याम गर्ग एड.	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

नाथूलाल पुत्र धूलीलाल जाति खाती निवासी कोयला हाल नि. B-37 नाकोड़ा II बारां

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र धूलीलाल जाति खाती निवासी कोयला हाल नि. 1176 मनोहरपुरा स्टेडियम के पास कोटा
2. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल
3. द्रोपदीबाई पत्नी राधेश्याम जाति धाकड़ निवासी विद्या कालोनी कोटा रोड बारां
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला, एवं सिसाया का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	दिशा	ग्राम
1. नाथूलाल पुत्र धूलीलाल जाति खाती मा.देह रहन यूको बैंक शाखा बारां	2981	1.325	उत्तर	कोयला
	3386	2.59	उत्तर	कोयला
	3387	0.13	उत्तर	—
	1239	1.04	—	सिसाया
	कुल किता 4	5.085	-	-
2. ओमप्रकाश पुत्र धूलीलाल जाति खाती मा.देह रहन-यूको बैंक बारां ख.नं. 2982, 2981	2982	0.56	-	कोयला
	2981	0.765	दक्षिण	—
	3386	0.12	मध्य	—
	3387	0.04	मध्य	—
	1239	1.05	-	सिसाया
	किता 5	2.535		

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 14.5.22 को निर्गत किया गया।

अध्यक्ष सदस्य

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—04 / 2020
दायरा दिनांक :—04.01.2018
निर्णय दिनांक :—28.03.2022

उनवान

नाथूलाल आयु 66 वर्ष पुत्र श्री धूलीलाल जाति खाती निवासी कोयला हॉल निवासी B-37 नाकोडा द्वितीय—बारां

बनाम

1. ओमप्रकाश आयु 56 वर्ष पुत्र श्री धूलीलाल जाति खाती निवासी कोयला हाल निवासी 117—ई श्रीनाथ पुरम स्टेडियम के पास कोटा
2. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़
3. द्रोपदीबाई पत्नी राधेश्याम जाति धाकड़ निवासीगण विद्या कालोनी कोटा रोड बारां।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :— 28.03.2022
अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ओमप्रकाश मेहता — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कोयला तहसील बारां पटवार हल्का कोयला की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2073—76 खाता संख्या नया 1146 पुराना 424 की आराजी खसरा नं0 3386 रकबा 5.09 हेक्टे0 लगानी 35.63 रूप्ये खसरा नं0 3387 रकबा 0.35 हेक्टे0 लगानी 2.45 रूप्ये कुल किता दो कुल रकबा 5.44 हैक्टे0 कुल लगानी 38.08 रूप्ये स्थित है जिसे आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। ग्राम कोयला पटवार हल्का कोयला की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2073—76 खाता संख्या नया 424 पुराना 421 की आराजी खसरा नं0 2981 रकबा 2.09 हैक्टे0 लगानी 22.99 रूप्ये, खसरा नं0 2982 रकबा 0.56 हैक्टे0 लगानी 6.16 रूप्ये स्थित है जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम सम्बोधित किया गया है। ग्राम तिसाया पटवार हल्का तिसाया की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2073—76 खाता संख्या नया 208 पुराना 206 की आराजी खसरा नं0 1239 रकबा 2.09 हैक्टे0 लगानी 14.56 रूप्ये स्थित है जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के बाहमी बंटवारा हो रहा है उसी अनुसार अपने अपने हिस्से की आराजियात काश्त करते आ रहे है किन्तु प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

कम 1 ओमप्रकाश द्वारा वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम कोयला की खसरा नं0 3386 रकबा 5.09 हैक्टे व खसरा नं0 3387 रकबा 0.35 हैक्टे0 व खसरा नं0 3386 में से 2.37 हैक्टे0 हिस्सा बाहमी बंटवारी में प्रतिवादी कम 1 ओमप्रकाश को प्राप्त हुआ था व खसरा नं0 3386 का रकबा 5.09 हैक्टे में से 2.72 हैक्टे उत्तरी ओर का हिस्सा प्राप्त हुआ है उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी कम 1 कब्जे काश्त में चले आ रहे है किन्तु कब्जे काश्त में चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादी कम 1 द्वारा अपने हिस्से में से 8/34 प्रतिवादी कम 2 राधेश्याम को व 8/34 प्रतिवादी कम 2 द्रोपतीबाई को बेचान कर दिया है तथा शेष 1/34 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 के नाम है इस प्रकार दक्षिणी ओर का खसरा नं0 3387 रकबा 0.35 हैक्टे0 व खसरा नं0 3386 का 2.37 हैक्टे0 प्रतिवादी कम 1 ता 3 के हिस्से में प्राप्त होगा तथा खसरा नं0 3386 रकबा 2.72 हैक्टे0 उत्तरी ओर का वादी को प्राप्त होगा इसी अनुसार वादी अपना खाता पृथक कराकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञाा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।

ग्राम कोयला की आराजी वादपत्र की मद नं0 में वर्णित खसरा नं0 2981 रकबा 2.09 हैक्टे0 व खसरा नं0 2982 रकबा 0.55 हैक्टे0 कुल रकबा 2.65 हैक्टे0 में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा निहित है जो बाहमी बंटवारे के मुताबिक खसरा नं0 2981 रकबा 2.09 हैक्टे0 में से 1.32 हैक्टे0 उत्तरी ओर का वादी को प्राप्त होगा तथा खसरा नं0 2982 रकबा 0.77 हैक्टे0 व खसरा नं0 2982 रकबा 0.56 हैक्टे0 बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी कम 1 को प्राप्त होगा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी कम 1 काबिज काश्त है किन्तु शामिल खाता होने से काश्त व्यवस्था व भुसुधार में दिक्कत होने से वादी अपना 1/2 हिस्सा खसरा नं0 2981 के रूप में 1.32 हैक्टे0 उत्तरी ओर का प्राप्त कर बंटवारा कराकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पा सकने का अधिकारी एवं नालिशी हैं। वादपत्र की मद नं0 3 में वर्णित आराजी ग्राम तिसाया की खसरा नं0 1239 रकबा 2.08 हैक्टे0 में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी कम 1 के मध्य बाहमी बंटवारा हो रहा है उसी अनुसार पश्चिमी ओर का 1/2 हिस्से के रूप में 1.04 हैक्टे0 वादी के हिस्से में तथा पूर्वी ओर का 1.04 हैक्टे0 प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में चला आ रहा है इसी अनुसार वादी अपना 1/2 हिस्सा 1.04 हैक्टे0 पश्चिमी ओर का बंटवारा कराकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता शामलाती होने से काश्त व्यवस्था एवं भुसुधार एवं बैंक आदि से ऋण प्राप्त करने में काफी असुविधा होती है इस कारण वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 से कई मर्तबा तहसील बारां में चलकर बंटवारा कराने का आग्रह किया गया किन्तु उसके द्वारा टालमटूल की जाती रही [illegible]पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

कोयला की आराजी का बेचान प्रतिवादी कम 2 व 3 को कर दिया गया इसके बावजूद भी वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 व केता 2 व 3 से हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारे के मुताबिक बंटवारा कराने के लिये तहसील में चलने के लिये कहा गया तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से दिनांक 15.11.2017 को इंकार करने पर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूप में तहसीलदार बारां को निवेदन किया गया तो तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर अंतिम रूप से दिनांक 15.11.2017 की प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा बंटवारा कराने से स्पष्ट इंकार करने पर वाद कारण बमुकाम ग्राम कोयला में उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश हुआ वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत्2073–76 खाता संख्या 424, नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत्2073–76 खाता संख्या 1146, नकल जमाबन्दी ग्राम तिसाया सम्वत्2073–76 खाता संख्या 208, नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत 2073–76 खाता संख्या 424 पेश की गई। साक्ष्य वादी में नाथूलाल के बयान कराये गयें साक्ष्या प्रतिवादी में राधेश्यामक । शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला एवं तिसाया में स्थित है। विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के बाहमी बंटवारा हो रहा है। उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी कम 1 ओमप्रकाश द्वारा ग्राम कोयला के ख0नं0 3386 रकबा 5.09 है0 व ख0नं0 3387 रकबा 0.35 है0 में उसका 1/2 हिस्सा दक्षिणी ओर का था प्रतिवादी कम 1 द्वारा अपने हिस्से में से 8/34 प्रतिवादी कम 2 राधेश्याम को व 8/34 प्रतिवादी कम 3 द्रोपतीबाई को बेचान कर कब्जा दिया है शेष 1/34 प्रतिवादी कम 1 के नाम है। हिस्से एवं कब्जे अनुसार वादी एवं प्रतिवादी गण पृथक–पृथक विभाजन कराकर खाता अलग दर्ज कराना चाहते है। बाहमी बंटवारे एवं हिस्से व कब्जे अनुसार वादी का वाद डिकी फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा भी वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कराना चाहते है। वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत्2073–76 खाता सं0 424 के अनुसार वादी नाथूलाल, ओमप्रकाश पुत्र धूलीलाल खाती के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम ... राधेश्याम हि08/34, ओमप्रकाश पुत्र धूलीलाल हि.1/34, नाथूलाल पुत्र धूलीलाल हि. 1/2 जाति खाती के नाम दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

है। नकल जमाबन्दी ग्राम तिसाया सम्वत्2073–76 खाता सं0 208 में नाथूलाल, ओमप्रकाश पुत्र धूलीलाल जाति खाती के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम कोयला सम्वत्2073–76 खाता सं0 424 में नाथूलाल, ओमप्रकाश पुत्र धूलीलाल जाति खाती के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के शामलाती खातेदारी में दर्ज थी। प्रतिवादी कम 1 द्वारा कुछ भूमि का बेचान प्रतिवादी कम 2 व 3 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से बेचान कर दिया जिस पर प्रतिवादी कम 2 व 3 काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य कब्जे एवं हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर अलग खाते दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला के ख0नं0 2981 रकबा 2.09 है0 ख0नं0 2981 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 3386 रकबा 5.09 है0, ख0नं0 3387 रकबा 0.35 है0 एवं ग्राम तिसाया के ख0नं0 1239 रकबा 2.08 है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुसार प्राथमिक डिकी पचा जारी है।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...यालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

...संख्या 04 / 2020	धारा अन्तर्गत 53,188 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक :– 28.03.2022
समक्ष : श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति अभिभाषक वादी– श्री ओम मेहता	अभिभाषक प्रतिवादी–	

वाद शीर्षक
उनवान

नाथूलाल आयु 66 वर्ष पुत्र श्री धूलीलाल जाति खाती निवासी कोयला हॉल निवासी B-37 नाकोडा द्वितीय–बारां

बनाम

1. ओमप्रकाश आयु 56 वर्ष पुत्र श्री धूलीलाल जाति खाती निवासी कोयला हाल निवासी 117–ई श्रीनाथ पुरम स्टेडियम के पास कोटा
2. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़
3. द्रोपदीबाई पत्नी राधेश्याम जाति धाकड़ निवासीगण विद्या कालोनी कोटा रोड बारां।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला के ख0नं0 2981 रकबा 2.09 है0 ख0नं0 2981 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 3386 रकबा 5.09 है0, ख0नं0 3387 रकबा 0.35 है0 एवं ग्राम तिसाया के ख0नं0 1239 रकबा 2.08 है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.03.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner